Regarding need to set up a system to facilitate railway passengers to know the current status of their railway ticket purchased from railway ticket counter-laid

श्री घनश्याम सिंह लोधी **(**रामपुर**) :** रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण चार्ट तैयार होने पर यदि विंडो टिकट कन्फर्म नहीं होती है तो ट्रेन के अपने गंतव्य स्थान से रवाना होने के अधिकतम आधा घंटे तक विंडो टिकट को रद्द करवाने का नियम है लेकिन यदि यात्री की ट्रेन अगले दिन सुबह की है तो रेलगाडी के लिए आरक्षण चार्ट सामान्यतः पिछली रात्रि में तैयार हो जाते है। अब बहुत क्षेत्रो में देर रात्रि या प्रातः में रेलवे आरक्षण विंडो के ना खुलने के कारण यात्रियों की टिकट कैंसिल नहीं हो पाती है और यात्री की धनराशि वापस नहीं मिलती है। बहुत सारे यात्री अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन से 2 या 3 घंटे की दूरी पर रहते है और वहीं कई यात्री अपने क्षेत्रीय सांसदों से रेलवे कन्फर्मेशन के लिए प्रयास करते है लेकिन फिर भी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि यात्री के पास विंडो से खरीदा हुआ टिकट है तो ऐसे यात्रियों को कॉल सेंटर नंबर जारी किया जाना चाहिए ताकि यात्री अपनी टिकट की कन्फर्मेशन ना होने के कारण यात्रा नहीं करने की जानकारी प्रदान कर सके और उस यात्री को टिकट कैंसिल करने का उचित समय मिल सके और उसे धनराशि मिल सके।